चंडीग□□ लंबे कानूनी संघर्ष के बाद अदालत से वसीयतनामा फर्जी करार दि□ जाने के बाद अब फरीदकोट के पूर्व महाराजा की बेटियां उनकी 20,000 करो□ रुप□ की संपत्ति ले पा□ंगी□ यह कानूनी ल□ाई 23 साल चली□ मुख्य न्यायकि मजस्ट्रिेट रजनीश कुमार शर्मा ने गुरुवार को हरदिर सहि बरा□ की ब□ी बेटी अमृत कौर के पक्ष में फैसला सुनाया था□ अमृत कौर ने वसीयतनामा को चुनौती दी थी जसिने □क न्यास को बैंक जमा खाते और आभूषणों के अलावा राष्ट्रीय राजधानी के केंद्र में स्थति फरीदकोट हाऊस, पंजाब में महल और □क क्लि समेत उनकी सारी संपत्तियों का केयरटेकर नयिुक्त कयिा था□

इन संपत्तियों में चंडीग□, हमिाचल प्रदेश, हरयिाणा और आंध्र प्रदेश में ढेरों संपत्तयिां शामलि हैं□ अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि वसीयतनामा फर्जी और मनग□ंत है जसिसे अमृत कौर और उनकी बहन दीपदिर कौर हदिू उत्तराधकिार कानून के तहत 20,000 हजार करो□ रुप□ की उनकी संपत्ति की उत्तराधकिारी बन गई हैं□ महाराजा के परविार के वकील वकिास जैन के मुताबकि अदालत ने वसीयत को अवैध करार दयिा है जो □क जुलाई, 1982 में फर्जी तरीके से कयिा गया था□ इस फैसले के बाद मेहरवाल खेवाजी ट्रस्ट भी अवैध बन गया है□ महाराजा की तीन बेटियों में अमृत कौर चंडीग□ के सेक्टर 10 में रहती हैं, दीपदिर कौर कोलकाता में हैं जबकि महीपदिर कौर कुछ साल पहले शमिला में मर गईं□ जब वसीयतनामे में फर्जीवा□ा कयिा गया था तब सर बरा□ गहरे सदमे थे क्योंकि उनके □कमात्र पुत्र हरमोहदिर सहि बरा□ मर ग□ थे□
कुछ नौकरों ने कुछ लोगों और वकीलों की मदद से □क जून, 1982 को यह वसीयतनामा लागू कराया और महाराजा की पत्नी व मां समेत उनके परविार को अंधेरे में रखा गया□ हरमोहदिर की मौत के आठ महीने बाद वसीयतनामा लागू कयिा गया□ महाराजा के नौकरों और वकीलों ने ट्रस्ट बनाया और वे उसके न्यासी बन ग□□ अमृत कौर को इस आधार पर उत्तराधकिार के अधकिार से वंचति कर दयिा गया कि उन्होंने दविंगत महाराजा की इच्छा के खलिाफ शादी की थी□ दीपदिर कौर को महज 1200 रुप□ प्रतमिाह के वेतनमान पर न्यास का अध्यक्ष नयिुक्त कयिा गया जबकि महीपदिर कोर को बस 1000 रुप□ प्रतमिाह तनख्वाह दयिा गया□ बाद में अमृत कौर ने इस वसीयतनामे को चुनौती दी और कहा कि उनके पति ने ऐसा कोई वसीयतनामा नहीं लखिा था□